संख्या जी-२-७६६/दस---६१७/६१

प्रेषक:

श्री विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक २४ अगस्त, १९६६

विषय : नई पारिवारिक पेन्शन योजना, १९६५।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार कुछ समय से उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ के अधीन प्रवृत्त परिवार पेन्शन योजनाओं को उबार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने अब परिवार पेन्शन की एक नयी योजना, जिसका इसके बाद उल्लेख नयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ नाम से किया गया है, स्वीकृत की है जिसके अधीन निम्नलिखित लाभ दिये जा रहे हैं :---

वित्त (सामान्य-२) विभाग

अधिकारी का वेतन--	विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेन्शन
१--८००.०० रु० और उससे अधिक	वेतन का १२ प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक १५०.०० रु०।
२--२००.०० रु० और उससे अधिक किन्तु ८००.०० रु० से कम	वेतन का १५ प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक ९६.०० रु० और कम से कम ६०.०० रु०
३--२००.०० रु० से कम	वेतन का ३० प्रतिशत किन्तु कम से कम २५.०० रु०।

इस प्रयोजन के लिये वेतन का तात्पर्य फंडामेन्टल रूल्स के नियम ९ (२१) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है जो सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के दिनांक को यदि मृत्यु सेवा काल में हुई हो, अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा हो। यदि मृत्यु के दिनांक को जब कि वह सेवा में हुई हो या उसकी सेवा निवृत्ति से ठीक पहले सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित है) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो तो "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले लिया हो।

२--उपर्युक्त योजना १ अप्रैल, १९६५ से प्रवृत्त होगी और पैरा ५, ६, १० और १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पेन्शन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों--स्थायी या अस्थायी--पर लागू होगी जो १ अप्रैल, १९६५ को सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये जायं।

३--उपर्युक्त योजना का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

(क) परिवार पेन्शन सेवा में रहते हुये या सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य (admissible) होगी जब सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय कोई प्रतिकर (compensation) अशक्तता (invalid) सेवा निवृत्ति (retiring) या अधिवर्ष (superannuation) पेन्शन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा जिसमें भत्ता रहित छुट्टी की अवधि, ड्यूटी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा २० वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं है, पूरी कर ली हो।

(ख) इस योजना के प्रयोजनों के लिये 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित रहेंगे :

(१) पत्नी/पति
(२) अवयस्क पुत्र
(३) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां।

टिप्पणी १--उपर्युक्त (२) और (३) में सेवा निवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित होगी।

टिप्पणी २--सेवा निवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिये मान्य नहीं समझा जायगा।

(ग) पेन्शन निम्नलिखित दशाओं में उपलभ्य (admissible) होगी--

१--विधवा/विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक।

२--अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक कि उसकी आयु १८ वर्ष की न हो जाय।

(३) अविवाहित पुत्री की दशा में जब तक कि उसकी २१ वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, न हो जाय।

टिप्पणी—जहां दो या दो से अधिक विधवायें हों तो पेन्शन ज्येष्ठतम उत्तर-जीवी विधवा को देय होगी। उसकी मृत्यु/पुनर्विवाह होने पर यह पेन्शन अगली उत्तर जीवी विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी। शब्द 'ज्येष्ठतम' का तात्पर्य विवाह के दिनांक के निर्देश वरिष्ठता से है।

(घ) इस योजना के अधीन दी गयी पेन्शन एक ही समय में सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी। यह निम्नलिखित क्रम से अनुमन्य (admissible) होगी अर्थात् पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को।

(ङ) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने पर, पेन्शन उनके अवयस्क सन्तानों को उनके प्रकृत अभिभावक (natural guardian) के माध्यम से ही दी जायगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (legal guardian) के माध्यम से किया जायगा।

(च) शासनादेश सं० जी-२-११६०/दस-८०९/१९५९, दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ में स्वीकृत तदर्थ वृद्धि इस योजना के अधीन स्वीकृत परिवार पेन्शन के लिये अनुमन्य (admissible) नहीं होगी।

४—इस योजना द्वारा प्रशासित प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये अपने आनुतोषिक का, जहां वह अनमन्य हो, एक भाग समर्पित करना होगा, जिसकी धनराशि यदि आनुतोषिक की गणना परिलब्धियों के आधार पर की गई हो तो उसकी दो महीने की परिलब्धियों के बराबर या यदि आनुतोषिक की गणना वेतन के आधार पर की गई है तो दो मास के वेतन के बराबर होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धनराशि अधिक से अधिक ३,६०० रु० होगी। यदि इस योजना द्वारा प्रशासित सरकारी कर्मचारी अविवाहित ही सेवानिवृत्त हो जाय और उसने कोई बच्चा गोद न लिया हो तो उसके आनुतोषिक से कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि अनुमन्य आनुतोषिक दो महीने की परिलब्धियों/वेतन से कम हो तो वह धनराशि सरकार द्वारा इस योजना के अधीन अनुमन्य परिवार पेन्शन सम्बन्धी लाभों के हेतु पुनर्ग्रहण कर ली जायेगी।

५—सरकारी कर्मचारी जो ३१ मार्च, १९६५ को सेवा में रहे हों (जिसमें ऐसे कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं जो उस दिन अपरान्ह में सेवा निवृत्त हुये थे अर्थात् जिनके लिये ३१ मार्च, १९६५ अन्तिम कार्य दिवस था) और जो उक्त दिनांक को उत्तर प्रदेश लिबरलाइजड पेन्शन रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ (सम्पूर्ण रूप में) या अन्तिमोक्त नियमावली के नियम ११ द्वारा प्रशासित हों उन्हें वर्तमान परिवार पेन्शन लाभों के बदले में जो पूर्वोक्त नियमावलियों के अधीन अनुमन्य हो, इस योजना को चुनने या अपने वर्तमान लाभों को बनाये रखने का विकल्प प्राप्त होगा। यह विकल्प ३१ दिसम्बर, १९६६ तक प्रपत्र 'क' (संलग्न) में चुनना होगा। एक बार विकल्प चुन लिये जाने पर वह अन्तिम होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कोई सरकारी कर्मचारी विकल्प न चुने तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने नई परिवार पेन्शन योजना को चुन लिया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की १ जनवरी, १९६७ से पहले विकल्प चुने बिना मृत्यु हो जाय तो मृत सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाली पेन्शन नियमावली के अधीन सभी लाभार्थियों को इस योजना को चुन कर इस विकल्प का संयुक्त रूप से प्रयोग करने का अधिकार होगा जिसकी सूचना वे लिखित रूप में पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को ३१ दिसम्बर, १९६६ तक या सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के ४ महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, उस प्रपत्र में देंगे जो पृथक रूप से निर्धारित किया जायेगा। उक्त लाभार्थियों को एक बन्ध पत्र भी निष्पादित करना होगा कि यदि भविष्य में कोई दावा उत्पन्न हो तो वे सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे।

६—जो कर्मचारी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमावली या कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड रूल्स द्वारा, जिसके सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं, प्रशासित न हों, उन्हें इस योजना के लाभ प्राप्त करने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि वे उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) को न चुन लें। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नया विकल्प चुनने की अनुमति दी जाय। इस विकल्प का प्रयोग भी अधिक से अधिक ३१ दिसम्बर, १९६६ तक प्रपत्र 'ख' (संलग्न) में करना होगा, किन्तु नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के लाभों को बिना प्राप्त किये उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ (सम्पूर्णरूप में) को चुनने का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होगा। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। जो कर्मचारी उक्त अवधि के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उन पर प्रयोज्य वर्तमान नियमों द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुना है। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसके सेवा निवृत्ति लाभ उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड पेन्शन इन्डयोरेन्स रूल्स, १९४८ द्वारा अन्यथा प्रशासित हों, सरकारी अंशदान की धनराशि उस पर ब्याज सहित जो कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेन्शन फंड में उक्त कर्मचारी के नाम जमा हो सरकार द्वारा वापस ले ली जायेगी। उक्त निधि में सरकारी कर्मचारी का अपना अभिदान (subscription) उस पर ब्याज सहित एक ऐसे जनरल प्राविडेन्ट फंड लेखा में संक्रमित कर दिया जायगा जो जनरल प्राविडेन्ट फन्ड रूल्स के अनुसार खोला जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी सेवा निवृत्ति ३१ मार्च, १९६७ को या उसके पहले होती हो जनरल प्राविडेंट निधि में कोई ऐसा संक्रमण करना आवश्यक नहीं होगा। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने के हकदार किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की जिसकी मृत्यु उक्त विकल्प चुने बिना १ जनवरी, १९६७ के पहले हो गई हो तो ऐसे मामलों के लिये उपर्युक्त पैरा ५ में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

७—यह हो सकता है कि उपर्युक्त पैरा ५ या ६ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का कोई सरकारी कर्मचारी नयी परिवार पेन्शन योजना के प्रख्यापन के पहले सेवा से विमुक्त किया गया हो या हटाया गया हो और विकल्प चुनने की अवधि की समाप्ति के बाद अन्ततः फिर नौकरी में बहाल कर दिया गया हो जिसके फलस्वरूप वह उपर्युक्त पैरा ५ या ६ में, जैसी कि स्थिति हो, उल्लिखित विकल्प चुनने से वंचित रह गया हो। ऐसे मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार नौकरी में बहाल किये जाने के दिनांक से ४ महीने के भीतर विकल्प चुनने की अनुमति होगी।

८—उपर्युक्त पैरा ५, ६ और ७ में उल्लिखित विकल्प लिखित रूप में चुना जायगा और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि वह अपत्रित अधिकारी है तो अपने कार्यालय के अध्यक्ष को और यदि राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जायगा। अपत्रित सरकारी कर्मचारी का विकल्प कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में चिपकाया जाना चाहिये।

९—पैरा ५ के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के ऐसे समस्त मामलों में जो १ अप्रैल, १९६५ (प्रवर्तन का दिनांक) तथा ३१ दिसम्बर, १९६६ (विकल्प चुनने के लिये निर्धारित अन्तिम दिनांक) के बीच के हो जब तक उक्त पैरा के अनुसार विकल्प यथाविधि न चुना गया हो, जिस दशा में इस मामले पर विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जायगी, २ महीने की परिलब्धियों या वेतन, जैसी की स्थिति हो, के बराबर धनराशि आनुतोषिक में से तब तक रोक ली

जानी चाहिये जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपेक्षित विकल्प को न चुन ले। यदि वह अन्ततः नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ को नहीं चुनता है तो आनुतोषिक की शेष धनराशि जो कि रोक ली गई हो उसे भुगतान कर दी जाय। पैरा ६ के अधीन विकल्प चुनने के हकदार ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अभी उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट पेन्शन फंड रूल्स द्वारा प्रशासित हो, उनके कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट पेन्शन फण्ड में सरकार के अंशदान की सारी धनराशि उस पर ब्याज सहित तब तक रोक ली जाय जब तक कि उपर्युक्त पैरा ६ के अनुसार विकल्प को न चुन ले। इसका भुगतान ऐसे अधिकारी को तभी किया जाय जब वह अपने वर्तमान पेन्शन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता हो या यह समझ लिया गया हो कि वह उक्त पेन्शन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता है, उक्त पैरा ६ के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को तब तक के लिये केवल प्रत्याशित (anticipatory) पेन्शन स्वीकृत की जानी चाहिये जब तक कि उक्त पैरा के अनुसार वे विकल्प को न चुन लें। ऐसी प्रत्याशित पेन्शन की धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होनी चाहिये जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) के अधीन अनमन्य हो।

१०—उस दशा में जब किसी पेन्शन तथा या आनुतोषिक का किन्हीं परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी या उसके दायाधिकारियों को उस धनराशि से अधिक भुगतान हो गया है जो उसे चुने गये या चुना समझे गये विकल्प के आधार पर अनुमन्य होती, तो ऐसा विकल्प तब तक मान्य और प्रवर्त्तनीय (enforceable) न होगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो उसके दायाधिकारी, किसी सरकारी खजाने में मांग के विनांक से एक मास की अवधि के भीतर शीर्षक : "४८—पेन्शनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के हेतु अंशदान तथा वसूलियां-प्रकीर्ण" के अन्तर्गत इस प्रकार भुगतान की गयी समस्त धनराशि एक मुश्त जमा न कर दें।

११—१ अप्रैल, १९६५ को या उसके बाद सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना द्वारा स्वतः प्रशासित होंगे।

१२—इस योजना द्वारा प्रशासित ऐसे सरकारी कर्मचारियों की/के विधवायें/विधुर किसी अन्य नियमावली के अधीन परिवार पेन्शन के तब तक हकदार नहीं होगी / होंगे जब तक कि वह नियमावली आधिक लाभप्रद न हो। किन्तु परिवार पेन्शन केवल किसी एक ही नियमावली के अधीन ग्राह्य होगी।

१३—यह योजना निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) सरकारी कर्मचारी जो १ अप्रैल, १९६५ को या उसके पहले सेवा निवृत्त हो गये हों (अर्थात् जिनके लिये १ अप्रैल, १९६५ कार्य दिवस नहीं था),

(ख) प्रासंगिक व्यय से वेतन पाने वाले व्यक्ति,

(ग) कार्य प्रभारित अधिष्ठान,

(घ) अनियत मजदूर (casual labour) तथा,

(ङ) संविदाधीन अधिकारी (contract officer)।

इस योजना से ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय जो आपके प्रशासकीय नियन्त्रण में हों जिनमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो छुट्टी पर हों, विदेश सेवा में हों या प्रतिनियुक्ति पर हों अथवा जो १ अप्रैल, १९६५ के बाद सेवा निवृत्त हुये हों अर्थात् जिनके लिये यह दिनांक एक कार्य दिवस था। यह वांछनीय होगा कि इन आदेशों के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी से एक प्राप्ति स्वीकार पत्र प्राप्त किया जाय ताकि फिर बाद में यह न कहा जा सके कि उसे इन आदेशों की जानकारी ही नहीं हुई।

भवदीय,
विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव।

सं० जी० २-७६९ (१)/दस-९१७-६१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग, तथा

(२) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

आज्ञा से,
शंकर दत्त मिश्र,
सहायक सचिव।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६६

प्रपत्र 'क'

[इसका प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लिवरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१ के नियम ११ द्वारा प्रशासित होते हैं]

नयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ जैसा कि वह मुझ पर लागू हो सकती है के तुलनात्मक लाभों तथा अलाभों को पूरी तरह समझ लेने के बाद—(१) मैं, उत्तर प्रदेश लिवरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१ के नियम ११ के अधीन अनुमन्य वर्तमान परिवार पेन्शन योजना के स्थान पर वित्त (सामान्य-२) विभाग शासनादेश संख्या जी २-७६९ दस—९१७-६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ द्वारा लागू की गयी नयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ को स्वीकार करने का विकल्प चुनता हूं।

(२) मैं, उत्तर प्रदेश लिवरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१ के नियम ११ के अधीन वर्तमान परिवार पेन्शन के लाभों को, जो कि पहले से मुझे अनुमन्य है, बनाए रखने का विकल्प चुनता हूं।

साक्षी :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

जो व्यक्ति अंग्रेजी या हिन्दी में अपना नाम न लिख सके उनके बायें अंगूठे का निशान लगाया जाय।

टिप्पणी (१)—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) या (२) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों को काट दिया जाय।

टिप्पणी (२)—यदि कोई सरकारी कर्मचारी ३१ दिसम्बर, १९६६ तक उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने नयी परिवार पेन्शन योजना नियमावली, १९६५ को चुन लिया है।

प्रमाण-पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (Inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोज्य होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)।

उक्त नियमावली श्री———————————को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

सं०

दिनांक

श्री

पद नाम

कार्यालय

से एक विकल्प दिनांक

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ :—

(१) नयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के पक्ष में

(२) उत्तर प्रदेश लिवरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१ उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, १९६१ उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनीफिट्स रूल्स के नियम ११ के अधीन वर्तमान परिवार पेन्शन के लाभों को बनाये रखने के पक्ष में।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) या (२) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों को काट दिया जाय।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६६

प्रपत्र 'ख'

[यह केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जाय जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेन्शन रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१, उत्तर प्रदेश रिटायर मेन्ट बेनिफिट्स रूल्स के नियम ११ से प्रशासित नहीं होते हैं]

(१) मैं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स १९६१ (सम्पूर्ण रूप में) द्वारा प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं जिसमें वित्त (सामान्य-२) विभाग, शासनादेश संख्या जी-२-७६९/दस-९१७/६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ द्वारा लागू की गयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ का लाभ भी सम्मिलित है।

(२) मैं वर्तमान पेन्शन नियमावली, जो कि मुझ पर प्रयोज्य है, द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं ।

हस्ताक्षर

साक्षी

दिनांक

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम

पद नाम

पद नाम

कार्यालय

कार्यालय

ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो साक्षर न होने से अपना नाम अंग्रेजी या हिन्दी में न लिख सकते हों, उनके बायें अंगूठे का निशान लिया जाय ।

टिप्पणी (१)—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) या (२) को काट दिया जाय ।

टिप्पणी (२)—यदि कोई सरकारी कर्मचारी ३१ दिसम्बर, १९६६ तक उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने उस पर प्रयोज्य वर्तमान पेन्शन नियमावली द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होते रहने का विकल्प चुना है।

प्रमाण पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोज्य होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)

उक्त नियमावली श्री को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी ।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

दिनांक

सं०

पद नाम

श्री से एक विकल्प दिनांक

कार्यालय

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ —

(१) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ (सम्पूर्ण रूप में) जिसमें नयी परिवार पेन्शन योजना, १९६५ सम्मिलित है के पक्ष में ।

(२) वर्तमान पेन्शन निभावली जो कि उस पर प्रयोज्य है, के पक्ष में ।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) या (२) को काट दिया जाय ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११५ जनरल (फाइ०)—१९६७—८,००० ।